लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर),बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS.

प्रकरण संख्या : 09 / 2024
GCMS NO. : 2024 / 61

प्रार्थी / अपीलार्थी :–		अप्रार्थी / रेस्पोण्डेंट्स:–
श्री शरद पंड्या, कार्यालय अन्दर की खबर समाचार पत्र, घंटाघर के पास, त्रिपोलिया रोड, बांसवाडा	बनाम	तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :– 04–09–2024

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 22.06.2024 (पोस्टल ऑर्डर नं. 62एफ 366195) को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी अनुसार प्रस्तुत आवेदन पर तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा द्वारा निर्धारित अवधि में भी सूचना उपलब्ध नही कराने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय ... दिनांक 13.08.2024 जारी किया गया एवं अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को ... तिथी को अपना रखने उपस्थित होने सूचित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.09.12 12:23:04 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बॉंसवाड़ा (राज.)

आज दिनांक 04.09.2024 को अपीलार्थी अनुपस्थित है। प्रत्यर्थी ने पत्रांक आरटीआई/ 24/ 204—05 दिनांक 16.08.2024 से अवगत कराया कि अपीलार्थी के प्रश्नगत प्रार्थना पत्र दिनांक 22.06.2024 से वांछित सूचना कार्यालय में उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर तैयार कर कार्यालय के पत्रांक 236—37 दिनांक 19.07.2024 द्वारा अपीलार्थी स्वयं को उपलब्ध करवा दी गई है। अपील अपीलांट निरस्त फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं उसके संलग्न पत्रादि का अवलोकन किया। अपील अनुसार अपीलार्थी को उनके प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, के तहत दिनांक 22.06.2024 पर सूचना उपलब्ध नही कराने के कारण यह अपील पेश की है। तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा द्वारा वांछित सूचना कार्यालय में उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर उनके कार्यालय के पत्रांक 236—37 दिनांक 19.07.2024 द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है, जिसकी प्रति लोक सूचना अधिकारी ने अपने जवाब के साथ संलग्न की है।

Signature Not Verified

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना [illegible] अधिकार प्रकोष्ठ) के

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.09.12 12:23:04 IST
Reason: SelfAttested

परिपत्र क्रमांक प 3(22) प्रसु/ सू.अ.प्र. [illegible] 2009 के बिन्दु सं. 3 के अनुसार भी सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बाँसवाड़ा (राज.)

जा सकती है जो लोक सूचना अधिकारी के पास पहले से मौजुद है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी ने उनके कार्यालय में उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर तैयार कर उनके कार्यालय के पत्रांक 236–37 दिनांक 19.07.2024 से अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपील अपीलार्थी के विरुद्ध निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 04–09–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. इंद्रजीत यादव) IAS
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बॉसवाडा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.09.12 12:23:04 IST
Reason: SelfAttested